भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2835

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण में पारदर्शिता

2835 श्री संजय राउत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परियोजना लागत की वसूली हो जाने के पश्चात भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण जारी रखने के औचित्य का आकलन किया है और क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान टोल प्लाजा, फारस्टैग के माध्यम से किए गए टोल संग्रहण और रियायत समझौतों की कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई गई है;

(ख) विलंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की परियोजना-वार संख्या, विलंब के कारण तथा चूककर्ता संविदाकारों पर लगाए गए अर्थदंडों और उनसे वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ते टोल शुल्क और ईंधन लागत के परिवहन परिचालकों, किसानों और मुद्रास्फीति पर प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार टोल शुल्क को युक्तिसंगत बनाने तथा टोल राजस्व और रियायत अवधि का सार्वजनिक प्रकटीकरण करते हुए एक पारदर्शी, समयबद्ध टोल नीति लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के नियम 6(6)(ख) के अनुसार, दिनांक 06.10.2023 के सा.का.नि. 725(ई) द्वारा संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किसी खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क शुल्क प्लाजा पर स्थायी रूप से वसूला जाता रहेगा। रियायतकर्ता द्वारा संचालित शुल्क प्लाजा के मामले में, रियायत समझौते के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायतकर्ता द्वारा रियायत अवधि के अंत तक वसूला जाता है, और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार या कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा एनएच शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शुल्क वसूला जाता है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत शुल्क प्लाजा के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड के लिए लगाया गया शुल्क वसूला जाता रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और भारत की संचित निधि (सीएफआई) से बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नियमित ऑडिट किया जाता है, जिसमें रियायतकर्ता द्वारा संचालित उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा भी शामिल हैं। सी एंड एजी द्वारा की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई है और जहां भी आवश्यक हो, ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों और मौजूदा परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का नियमित निरीक्षण और निगरानी की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना अपनी मूल निर्धारित समापन तिथि से आगे बढ़ गई हैं और समाप्ति/अधिग्रहण के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, अनुलग्नक में हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण, वैधानिक स्वीकृतियां/अनुमतियां, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून व्यवस्था, रियायतग्राही/संविदाकार की वित्तीय बाधाएं, संविदाकार/रियायतग्राही का खराब प्रदर्शन और अप्रत्याशित घटनाएं जैसे भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/हिमस्खलन आदि हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मानक अनुबंध समझौते के दस्तावेज़ में परियोजना के लक्ष्यों या समय-सीमा को पूरा करने में देरी के लिए दोषी संविदाकारों/रियायतग्राहियों पर विभिन्न प्रकार के दंड लगाने के प्रावधान हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, निर्धारित क्षतिपूर्ति, अनुबंध की समाप्ति आदि शामिल हैं, जो अनुबंध में निर्धारित सीमाओं के अधीन हैं। ऐसी कार्रवाई परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मामले-दर-मामले के आधार पर की जाती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्माणाधीन 79 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को परियोजना कार्यान्वयन में देरी सहित अन्य कारणों से, किसी भी चरण के पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया।

(ग) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग/अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 और संबंधित रियायत करारों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे के खंड के उपयोग के लिए वसूला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने के लिए एक पारदर्शी ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें दरें राजमार्ग की लंबाई और वाहन के प्रकार से पूरे देश में समान रूप से जुड़ी होती हैं और टोल दरों में वार्षिक संशोधन होता है। यह संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जुड़ा होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार एक निश्चित सूत्र पर आधारित है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समान रूप से लागू होता है।

सरकार ने समय-समय पर राजमार्ग विकास के लिए राजस्व आवश्यकताओं और सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टोल नीति की समीक्षा की है। इसके अलावा, सड़क उपयोगकर्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए हैं:

(i) जीएसआर 437(ई) दिनांक 01.07.2025 अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को प्रतिबंधित करने के लिए।

(ii) दिनांक 31.12.2025 का जीएसआर 01(ई) दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर राजमार्ग को चार या अधिक लेन में अपग्रेड करने के मामले में दरों में कमी के लिए। एनएच शुल्क नियम 2008 में पहले से ही चार लेन से छह और उससे अधिक लेन में अपग्रेड करने के कार्य के मामले में शुल्क दर में ऐसी कमी का प्रावधान उपलब्ध है।

(iii) जीएसआर 388 (ई) दिनांक 17.06.2025, जिसमें गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए वार्षिक पास शुरू किया गया है। यह योजना अगस्त 2025 से 3000/- रुपये (वित्त वर्ष 26-27 में संशोधित करके 3075/- रुपये) के भुगतान पर 200 एनएच शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, प्रदान करती है।

(iv) जीएसआर 734 (ई) दिनांक 03.10.2025 बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क में 2 गुना से 1.25 गुना तक की कमी, बशर्ते उपयोगकर्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान का विकल्प चुनता हो;

(v) जीएसआर 07 (ई) दिनांक 04.02.2026 के अनुसार, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए देय शुल्क, जो कि इसकी अधिसूचित लंबाई के केवल एक भाग के लिए ही चालू है, लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक गुना की दर से लगाया जाएगा।

(vi) मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग का कार्यान्वयन: सरकार ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जो एआई एनालिटिक्स के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) और आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) सहित एकीकृत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाधा रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करती है, जहां वाहन उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क बिना रुके, धीमा किए या किसी दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में रहने के बिना वसूला जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए पहले से ही विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।

(viii) सरकार ने फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, वास्तविक समय की निगरानी, सिस्टम ऑडिट, सुलह, सीसीटीवी/निगरानी और एनएचएआई की दिनांक 25.01.2024 की मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से टोल संग्रह में अधिक पारदर्शिता के लिए उपाय भी पेश किए हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच और निगरानी की आवश्यकता होती है कि लेनदेन टीएमएस के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

(ix) सरकार ने उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर 10.04.2026 से कैशलेस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2026 में एनएच शुल्क नियमों में भी संशोधन किया है, जिससे टोल संग्रह में पारदर्शिता और भी बढ़ जाएगी।

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण में पारदर्शिता" के संबंध में श्री संजय राउत द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2835 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना अपनी मूल निर्धारित समापन तिथि से आगे बढ़ गई हैं और समाप्ति/फोरक्लोजर के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	42
2	अरुणाचल प्रदेश	5
3	असम	26
4	बिहार	35
5	छत्तीसगढ़	12
6	गोवा	6
7	गुजरात	14
8	हरियाणा	12
9	हिमाचल प्रदेश	13
10	झारखंड	17
11	कर्नाटक	47
12	केरल	15
13	मध्य प्रदेश	34
14	महाराष्ट्र	60
15	मणिपुर	18
16	मेघालय	3
17	मिजोरम	4
18	नागालैंड	16
19	ओडिशा	21
20	पंजाब	20
21	राजस्थान	15
22	सिक्किम	9
23	तमिलनाडु	23
24	तेलंगाना	29
25	त्रिपुरा	6
26	उत्तर प्रदेश	44
27	उत्तराखंड	31

28	पश्चिम बंगाल	19
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
32	दिल्ली	0
33	जम्मू और कश्मीर	25
34	लद्दाख	5
35	पुदुचेरी	0

*****